

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0283 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 04/12/2024 14:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 22/05/2010 Date To (दिनांक तक): 31/03/2017
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 04/12/2024 Time (समय): 13:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 04/12/2024 14:01:40 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 240 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): THE GANGANAGAR KENDRIYA BANK LTD., SHRIGANGANAGAR
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ashish kumar

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 21/07/1987 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	plot no.60, basant vihar, jhunjhunu, Kotwali JhunJhunu, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	plot no.60, basant vihar, jhunjhunu, Kotwali JhunJhunu, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	M.R.KHANNA		पिता:GAJANAND	1. WARD NO.10,DHANKA MAOHELLA, RAYSINGH NAGAR, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	अन्य	विविध		

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, उपरोक्त निवेदन है कि श्री मंगतराम खन्ना प्रबन्ध निदेशक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर व अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या 327/2021 दर्ज कर आरोपीगण के ठिकानों पर सर्च की कार्यवाही की गई थी। उक्त प्रकरण के अनुसंधान के दौरान प्रकरण से सम्बन्धित रिकॉर्ड के अलावा मंगतराम खन्ना प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर के पद पर पूर्व में रहते हुए की गई अनियमितताओं की विभागीय जांच हुई थी, की जांच रिपोर्ट, जांच परिणाम व निर्देश, मंगतराम खन्ना को दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतियां भी प्राप्त हुई थी। श्री मंगतराम खन्ना के विरुद्ध विभागीय स्तर पर हुई जांच रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दुओं में निम्न आरोपों पर मंगतराम खन्ना को बैंक को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना गया है - क्र.सं. जांच परिणाम /निर्देश के पैरा संख्या गबन एवं दुरुपयोग का विवरण राशि (रूपयों में) 01 03 पैक्स कम्प्यूटराईजेशन हेतु अनावश्यक 21.00 करोड़ रूपये का एनसीडीसी से ऋण लेकर बैंक को पहुंचाई प्रोसेसिंग शुल्क की हानि। 3,45,000 02 05 बैंक में सहायक कर्मचारियों की भर्ती एवं संविदा पर लिये गये कर्मचारियों की औचित्यता एवं विभागीय परिपत्र/आदेशो के विरुद्ध किये गये कार्य में अनियमितता कर बैंक को हानि पहुंचाना। 37,46,400 03 07 बैंक कार्मिकों श्री विजय शर्मा एवं श्री सुरेन्द्र गर्ग के त्याग पत्र के बावजूद अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान करते हुए 3 माह का अग्रिम वेतन भुगतान कर बैंक को हानि पहुंचाना। 2,67,486 04 09 बैंक हेतु क्रय किये गये आईटम्स यथा एयर कन्डीशनर, मौसम सेंसर, नोट काउंटिंग मशीन, जनरेटर सैट, सीसीटी कैमरे, अलार्म सिस्टम, बायो मेट्रीक सिस्टम, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फर्नीचर फिक्सर तथा बैट्रीयों की बिना निविदा एवं बिना विभागीय स्वीकृति के नियम विरुद्ध खरीद कर आईटम्स की औचित्यता एवं अधिक दर पर क्रय कर बैंक को हानि पहुंचाना। 2,80,644 05 11 वित्तिय वर्ष 2015-16 में बैंक की गोल बाजार शाखा और सुखाडिया सर्किल शाखा में बाउचर्स के डिजीटलाईजेशन की औचित्यता एवं कार्य पूर्ण नहीं होने के बावजूद भुगतान कर बैंक को हानि पहुंचाना। 14,99,377 योग 61,38,907 उपरोक्त के अलावा जांच में अन्य आरोपों की जांच की गई जिसमें भी मंगतराम को दोषी माना गया जो निम्न प्रकार है- 01. श्री मंगतराम खन्ना द्वारा वर्ष 2010 की स्क्रीनिंग से जिन व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक की स्क्रीनिंग के आदेश निरस्त किये गये थे एवं न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये थे कि सक्षम अधिकारी द्वारा सुनकर इसका निर्णय किया जावे। उनमें प्रबन्ध निदेशक श्री मंगतराम खन्ना द्वारा स्वयं सुनवाई कर 174 व्यवस्थापकों/सहायक व्यवस्थापकों के नियमितीकरण की अनुशंशा जारी कर 6 आदेश जारी कर दिये जो उनकी शक्तियों में आधिक्य में है। 02.दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक के स्टाफ की पदोन्नति में अनियमितता एवं ऋण सुपरवाईजरो के पदो पर पदोन्नति/एडहोक पदोन्नति में श्री मंगतराम खन्ना द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत कर पदोन्नति करना एवं शक्तियों के आधिक्य में जाकर नियम विरुद्ध एडहोक पदोन्नति करना, पदोन्नति कमेटी की बैठक बुलाये बिना नियम विरुद्ध पदोन्नति आदेश जारी करना। 03.श्री मंगतराम खन्ना द्वारा वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर दबाव बनाकर विभागीय आदेशो के विरुद्ध नई बीमा योजना चालू कर दी गई जिसमें सदस्यों को कोई लाभ नहीं था यह बीमा योजना स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पर चालू कर दी गई जबकि यह मेडीक्लेम पॉलिसी नहीं थी। 04.नियम विरुद्ध अस्पतालों को ऐम्पैनलमेंट करने एवं जिन अस्पतालों से टाईपअप नहीं है उनके बिलों को भुगतान कर बैंक को हानि पहुंचाने के मामले में पाया गया कि श्री एमआर खन्ना द्वारा श्री धनराज कुलरिया के भुगतान के लिए अपनी शक्ति के आधिक्य में आदेश जारी किये गये, जिस कारण श्री धनराज कुलरिया को 152585/- रूपये भुगतान नियम विरुद्ध किया गया। उक्त विभागीय जांच पर कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के पत्रांक 48(12)सविरा/बैंक-5/18/सीसीबी श्रीगंगानगर/धारा 55/1457-64 दिनांक 25/30.10.19 के जांच परिणाम/निर्देश जारी किये गये। वर्तमान में मंगतराम खन्ना द्वारा उक्त जांच के विरुद्ध सहकारिता अधिनियम के अनुसार उच्च स्तर पर अपील की गई है जो विचाराधीन है किन्तु प्रक्रिया सिविल नेचर की है जबकि प्रकट तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री मंगतराम खन्ना तत्कालीन प्रबन्धक निदेशक दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड श्रीगंगानगर का उक्त कृत्य आपराधिक है तथा भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन) अधिनियम 2018 के प्रावधानों की परिधि में आता है। उक्त जांच रिपोर्ट, जांच परिणाम व निर्देश के अवलोकन से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि श्री मंगतराम खन्ना तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकारी राशि का कपटपूर्वक दुरुपयोग कर बैंक को हानि कारित की है तथा अपने चहेते अयोग्य कर्मचारियों को मिलीभगत कर नियम विरुद्ध स्क्रीनिंग व पदोन्नति देकर

असम्यक लाभ पहुंचाया है जो कि तत्समय अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भा.द.सं. का प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। जिस पर उक्त प्रकरण दर्ज किये जाने की अनुमति बाबत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 17ए के तहत प्रस्ताव तैयार किया जाकर सक्षम प्राधिकारी को भिजवाया गया। तत्पश्चात संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग राज. सरकार के पत्रांक प.2(2)(5)का/क-3/शि/2023 दिनांक 19.06.2024 से धारा 17-ए पूर्वानुमोदन स्वीकृति प्राप्त होने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त आरोपी श्री मंगतराम खन्ना तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने का निर्णय जरिये पत्रांक 4917-20 दिनांक 06.09.2024 के प्राप्त हुआ है। अतः आरोपी श्री मंगतराम खन्ना पुत्र श्री गजानन्द निवासी वार्ड नंबर 10, धानक मौहल्ला, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भा.द.सं. में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (आशीष कुमार) अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एस.यू.) बीकानेर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आशीष कुमार, अति.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.यू.) बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भा.द.सं. में आरोपी श्री मंगतराम खन्ना पुत्र श्री गजानन्द निवासी वार्ड नंबर 10, धानक मौहल्ला, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, श्रीगंगानगर हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पवन कुमार मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-प्रथम को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 511 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1560-63 दिनांक 04-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर। 2-संयुक्त शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, (एस.यू.) बीकानेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): PAWAN KUMAR Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): MEENA (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)


R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 04/12/2024 14:09:38



Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	04/02/1963				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)